This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 03 नवम्बर, 2020 / 12 कार्तिक, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28–10–2020

संख्या इण्ड–II (एफ)10–7 / 2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 ख, और 15 क के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः इण्ड–बी–एफ–(6)–31 / 2016, तारीख 22–8–2016 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27–8–2016 को प्रकाशित हिमाचल

प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम इनके राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 में,–

(क) उप–नियम (1) में खण्ड (ख) के नीचे स्पष्टीकरण में उप खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

(i) ''प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र''से, ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रत्यक्ष खनन से संबन्धित प्रचालन जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोटन, सज्जीकरण और अपशिष्ट निपटान (अतिभार क्षेपण भूमि, टेलिंग तालाब, परिवहन कॉरिडोर आदि) अवस्थित हैं और इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा / होंगेः–

(क) गांव और ग्राम पंचायतें जहां खाने स्थित और संक्रियात्मक हैं। ऐसी खानों के क्षेत्रों का विस्तार समीपवर्ती गांव, खण्ड और जिला तक हो सकेगा;

(ख) हिमाचल प्रदेश में सम्बद्ध जिला सीमाओं को विचार में लाए बिना किसी खान या खानों के समूह (क्लस्टर) से पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर का कोई क्षेत्र;

(ग) वे गांव, जहां सम्बद्ध खनन परियोजना प्राधिकरणों द्वारा विस्थापित कुटुम्बों को पुनर्वासित किया गया है; और

(घ) वे गांव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं और परियोजना क्षेत्र पर फलोपभोग और पारंपरिक अधिकार, जैसे–चराई, लघु वन उपज आदि का संग्रहण है, के संग्रहण को भी प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा।

(ii) ''अप्रत्यक्षः प्रभावित क्षेत्र'' से, हिमाचल प्रदेश के सम्बद्ध जिला की सीमाओं को विचार में लाए बिना, किसी खान या खानों के समूह से, पांच किलोमीटर से 15 किलोमीटर की परिधि के भीतर के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां कि स्थानीय जनसंख्या की खनन सम्बधी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव, जल प्रदूषण, मृदा और वायु की गुणवता का अपकर्षण, नदियों के बहाव में कमी और भूगर्भ जल का कम होना और खनन संक्रियाओं के कारण जमाव और प्रदूषण, खनिजों का परिवहन, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर वर्धित भार है; और

(ख) उप–नियम (1) के खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (त) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(त) ''पी0एम0 के0 के0 के0 वाई0'' से, प्रधान मन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अभिप्रेत है।''।

3. **नियम 15 का संशोधन.**–क्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (2) में,–

(क) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(ख) न्यास के प्रशासनिक व्ययों के लिए दस प्रतिशत से अनधिक;

(ग) मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रधान मन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (जिसे पी0 एम0 के0 के0 के0 वाई0 किया गया है) के अधीन जिला खनिज संस्थान न्यास में कुल वार्षिक प्राप्ति का अस्सी प्रतिशत व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अस्सी प्रतिशत में से साठ प्रतिशत निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए उपयोजित किया जाएगाः–

(i) **पेयजल प्रदाय.**–केन्द्रीयकृत शोधन प्रणालियों, जल संयन्त्रों, स्थायी / अस्थायी जल संवितरण नेटवर्क, जिसके अन्तर्गत पेयजल हेतु स्वचलित सुविधाएं, नालियां बिछाकर पेयजल प्रदाय प्रणाली भी है।

(ii) **पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय.**–बहिःस्त्राव उपचार संयन्त्र, क्षेत्र में नदी, झीलों, तालाबों, भूजल, अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत बाढ संरक्षण कार्य खनन संक्रियाओं और, डम्प द्वारा कारित वायु और धूल प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उपाय, खनन जल निकास प्रणाली, खनन प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां, और परित्यक्त खानों पर कार्य करने हेतु उपाय और पर्यावरण हितैषी तथा धारणीय खनन विकास के लिए अपेक्षित अन्य वायु, जल तथा धरातल प्रदूषण नियंत्रण क्रियाविधियां भी हैं।

(iii) **स्वास्थ्य देखभाल.**–प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक / गौण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का सृजन करने पर ध्यान देना होगा। केवल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना पर ही नहीं,अपितु ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने हेतु अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने, उपस्कर और प्रदायों पर भी बल दिया जाएगा। उस विस्तार तक प्रयास करना कि स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्रीय सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र के साथ पूरक हों और अभिसार के कार्य करें। खनन संबंधित बीमारियों और रोगों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना की अभिकल्पना के लिए राष्ट्रीय खनिक संस्थान के पास उपलब्ध विशेषज्ञता भी ग्रहण की जा सकेगी। स्वास्थ्य देखभाल के लिए खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम कार्यान्वित की जा सकेगी।

(iv) **शिक्षा.**–स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और शिल्प कक्ष, प्रसाधन ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों / शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, शिक्षकों / अन्य सहायक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति ई–लर्निंग सैटअप, परिवहन सुविधाओं की अन्य व्यवस्थाए (बस, साइकिलें / रिक्शा आदि) और पोषण से संबन्धित कार्यक्रम।

(v) **महिलाओं और बालकों का कल्याण.**–मातृ और बाल–स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक रोगों आदि के समाधान के लिए पी0 एम0 के0 के0 के0 वाई0 के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम किए जा सकेंगे।

(vi) **वृद्धों और निःशक्तजनों का कल्याण.**–वृद्धों और निःशक्तजनों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

(vii) **दक्षता विकास.**–स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए जीविका सहायता, आय सृजन और आर्थिक क्रियाकलाप हेतु दक्षता विकास। परियोजनाओं / स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण, दक्षता विकास केन्द्र का विकास, स्वरोजगार स्कीमें, स्वयं सहायता समूह की सहायता और ऐसी स्वरोजगार आर्थिक कार्यकलापों हेतु अग्र और पश्च संयोजन की व्यवस्था भी है।

(viii) **स्वच्छता**.–अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित निकास नाली और मल उपचार संयन्त्र, मल (विष्ठा) गंदगी के निपटान की व्यवस्था प्रसाधन और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों की व्यवस्था।

ग–(1) अस्सी प्रतिशत का चालीस प्रतिशत निम्नानुसार स्कीमों के अन्तर्गत अन्य प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों के लिए उपयोजित किया जाएगाः–

(i) **भौतिक अवसरंचना.**–अपेक्षित भौतिक अवसरंचना के साथ–साथ सड़क, पुलों, रेलवे और जलमार्ग परियोजनाओं की व्यवस्था करना।

(ii) **सिंचाई.**– सिंचाई के वैकल्पिक स्त्रोत का विकास करना, सिंचाई की उपयुक्त और समुन्नत तकनीकों को अंगीकृत करना।

(iii) **ऊर्जा और जल विभाजक विकास.**–वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत (सूक्ष्म हाइडल सहित) और वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का विकास। फलोद्यानों, एकीकृत खेती, मितव्ययी वानिकी का विकास और जल संग्रहण क्षेत्रों का पुनरूद्धार।

(iv) सम्बन्धित जिला के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(v) धारणीय जीविका की व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए विन्यास निधि के रूप में वार्षिक प्राप्तियों की युक्तियुक्त रकम रखी जाएगी'';

(ख) खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा; और

(ग) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात;–

''**(3) अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध.**–अनुसूचित क्षेत्र में पी0 एम0 के0 के0 के0 वाई0 निधियों के उपयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित संविधान की पांचवीं और छटी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों और पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर स्थित खनन द्वारा प्रभावित ग्रामों की बाबत;

(i) ग्राम सभा का अनुमोदन अपेक्षित होगाः–

(क) पी0 एम0 के0 के0 के0 वाई0 के अन्तर्गत बनाई जाने वाली समस्त योजनाएं, प्रोग्राम और परियोजनाएं;

(ख) सरकार के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन हिताधिकारियों की पहचान के लिए।

(ii) सम्बन्धित गांव में पी0 एम0 के0 के0 के0 वाई0 के अधीन किए गए कार्यों पर रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

{ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो उसका पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 40) के लिए उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए है}।''।

4. नियम 24 का जोड़ा जाना.—उक्त नियमों के नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''24. **पारदर्शिता का अनुपालन.**—प्रत्येक संस्थान जिला बैवसाइट तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित सूचना पोषित की जाएगी और नियमित रूप में अद्यतन रखी जाएगीः—

(क) जिला खनिज संस्थान न्यास के गठन के ब्यौरे।

(ख) खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची।

(ग) पट्टादारों से प्राप्त समस्त अभिदायों का मासिक ब्यौरा।

(घ) समस्त बैठकों की कार्यसूचियाँ, कार्यवृत और जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए टी आरज़)।

(ङ) वार्षिक योजना और बजट, संकर्म आदेश और वार्षिक रिपोर्ट।

(च) **जारी कार्यों की ऑनलाइन प्रास्थिति.**—समस्त परियोजनाओं / किए जा रहे कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रास्थिति / प्रगति वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत कार्य के विवरण, हिताधिकारियों के ब्यौरे, अनुमानित लागत, कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों के नाम, कार्य के प्रारंभ होने और पूर्ण होने की प्रत्याशित तारीख अंतिम तिमाही तक वित्तीय और भौतिक प्रगति भी है।

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों की सूची।

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।''।

आदेश द्वारा,

राम सुभाग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-II(F)10-7/2018, dated 28-10-2020 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India)]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th October, 2020

No. Ind-II (F)10-7/2018.—In exercise of powers conferred by section 15 read with sections 9B and 15 A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Governor Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 notified *vide* this

department notification No. Ind-B-F(6)-31/2016, dated 22-8-2016 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 27-8-2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust (Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

2. Amedment of rule 2 (a).— In rule 2 of the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules 2016 (hereinafter referred to as the 'said Rules') **for sub-clauses (i) and (ii) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1),** the following shall be substituted, namely:—

"(i) Directly affected areas' means where direct mining related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.) are located and shall also include the following:—

(a) Village and Gram Panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighbouring village, block and districts;

(b) An area within the radius of 5 Kilometres in the Himachal Pradesh from a mine or cluster of mines, irrespective of Districts boundaries concerned;

(c) Villages in which displaced families have been rehabilitated by the concerned mining project authorities; and

(d) Villages that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas such as for grazing, collection of minor forest produce etc. shall be considered as directly affected areas.

(ii) 'Indirectly affected areas' means those areas of the Himachal Pradesh within 5 KM to 15 KM of radius from a mine or cluster of mines irrespective of Districts boundaries concerned, where the local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining related operations. The major negative impact of mining can be by the way of water pollution, deterioration of soil and air quality, reduction in stream flows and depleting of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources" and

(b) after clause (o) of sub-rule (1), the following new clause (p) shall be inserted namely:—

"(p) PMKKKY means the Pradhan Mantri Khanij Kashetra Kalyan Yojna."

3. Amendment of rule 15.— In rule 15 of the said rules-(a) for clauses (b) and (c) of sub–rule of (2) the following shall be substituted, namely:—

"(b) not more than 10 % for administrative expenses of the trust."

(c) 80 % of the total annual receipt in the District Mineral Foundation Trust shall be spent under Pradhan Mantri Khanij Kashetra Kalyan Yojna (hereinafter referred to as "PMKKKY") as per the guidelines. **Further 60% out of 80 % shall be utilized for high priority areas under schemes as follows:—**

(i) Drinking Water Supply.—Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.

(ii) Environment Preservation and Pollution Control Measures.— Effluent treatment plants, prevention of pollution of stream, lakes, ponds, ground water, other water resources in the region including flood protction works, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working on abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.

(iii) Health Care.—The focus must be on creation of primary/secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, state and Central government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

(iv) Education.—Construction of school building, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and crafts room, Toilet blocks, drinking water provisions, Residential Hostels for students/ teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/ van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.

(v) Welfare of Women and Children.—Special program for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the PMKKKY.

(vi) Welfare of Aged and Disable People.—Special program for welfare of aged and disabled people.

(vii) Skill Development.—Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The

projects/schemes may include training, development of skill development centre, self-employment schemes, support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.

(viii) Sanitation.—Collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of faecal sludge, provision of toilets and other related activities.

C (1) 40% out of 80% shall be utilized for other priority areas under schemes as follows:—

(i) Physical infrastructure—to provide required physical *infrastructure viz-a-viz* road, bridges, railways and waterways projects.

(ii) Irrigation.—Developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advance irrigation techniques.

(iii) Energy and Watershed Development.—Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming, economic forestry and restoration of catchments.

(iv) Any other measures for enhancing the environment quality in mining areas of respective district.

(v) A reasonable sum of annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood";

(b) Clause (d) shall be omitted; and

(c) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3)Special Provision for scheduled area.—The process to be adopted for utilization of PMKKKY funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in the Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the scheduled areas and tribal areas and the provisions of the Panchayats (Extension to the Schedule Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of the Forest Rights) Act, 2006."

In respect of villages affected by mining situated within the Scheduled areas;

(i) approval of Gram Sabha shall be required:—

(a) for all plans, programs and projects to be taken up under PMKKKY;

(b) for identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.

(ii) report on the works undertaken under PMKKKY in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

[Gram Sabha will have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions for the Panchayats (Extension to the Schedules Area) Act, 1996 (Act 40 of 1996)]."

4. Addition of rule 24 After rule 23 of the said rules, the following new rule 24 shall be inserted, namely:—

"24. Compliance of Transparency.—Each Foundation will prepare and maintain district website on which, *inter-alia,* following information shall be hosted and kept updated regularly:—

a. Detail of composition of the District Mineral Foundation Trust.

b. List of Areas and people affected by mining.

c. Monthly detail of all contributions received from the lessees.

d. All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the District Mineral Foundation Trust.

e. Annual Plan and Budgets, Work Orders and Annual report.

f. **Online status of ongoing works.—**implementation status/progress of all projects/ programs being undertaken should be made available on the website including description of work, detail of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress up to last quarter.

g. List of beneficiaries under various welfare programs.

h. Voluntary disclosures under the RTI Act, 2005."

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
ACS (Industries).

PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2020

No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the following IAS Officers will retire from the Government service in the afternoon of the dates as shown against their names on attaining the age of superannuation:—

Sl. No.	Name and Designation of the Officer	Date of retirement
1.	Shri Brij Kumar Agarwal, IAS (HP:1985) Secretary to Lokpal at New Delhi.	30-06-2021

2.	Shri Sanjeev Gupta, IAS (HP:1985) Secretary, Inter-State Council Secretariat, New Delhi.	30-09-2021
3.	Shri Tarun Kapoor, IAS (HP:1987) Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, New Delhi.	30-11-2021
	Shri Manoj Kumar, IAS (HP:1988) Addl. Chief Secretary (Home) to the Government of H.P., Shimla.	31-10-2021
5.	Dr. Sandeep Bhatnagar, IAS (HP:2001) Secretary (RD&PR) to the Government of H.P., Shimla.	31-12-2021
6.	Sh. G.K. Srivastava, IAS (HP:2002) Divisional Commissioner, Shimla Division, Shimla, H.P.	31-10-2021
7.	Shri Hans Raj Sharma, IAS (HP:2006) Director, Industries, H.P., Shimla.	30-06-2021

By order,

ANIL KUMAR KHACHI,
Chief Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2020

No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the following IAS Officers will retire from the Government service in the afternoon of the dates as shown against their names on attaining the age of superannuation:—

Sl. No.	Name and Designation of the Officer	Date of retirement
1.	Shri Brij Kumar Agarwal, IAS (HP:1985) Secretary to Lokpal at New Delhi.	30-06-2021
2.	Shri Sanjeev Gupta, IAS (HP:1985) Secretary, Inter-State Council Secretariat, New Delhi.	30-09-2021
3.	Shri Tarun Kapoor, IAS (HP:1987) Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, New Delhi.	30-11-2021
4.	Shri Manoj Kumar, IAS (HP:1988) Addl. Chief Secretary (Home) to the Government of H.P., Shimla.	31-10-2021

5.	Dr. Sandeep Bhatnagar, IAS (HP:2001) Secretary (RD&PR) to the Government of H.P., Shimla.	31-12-2021
6.	Sh. G.K. Srivastava, IAS (HP:2002) Divisional Commissioner, Shimla Division, Shimla, H.P.	31-10-2021
7.	Shri Hans Raj Sharma, IAS (HP:2006) Director, Industries, H.P., Shimla.	30-06-2021

By order,

ANIL KUMAR KHACHI,
Chief Secretary.

PERSONNEL DEPARTMENT
(Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2020

No. Per(AI)B(15)-3/2019.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the following officers holding the charge of Heads of Departments of their respective departments will retire from the Government service in the afternoon of the dates as shown against their names on attaining the age of superannuation:—

Sl. No.	Name and Designation of the Officer	Date of retirement
1.	Ms. Savita, IFS(HP:1985), Pr. CCF(HoFF), H.P., Shimla.	30-09-2021
2.	Dr. Ajmer Singh Dogra, Director of Animal Husbandry, H.P.	31-08-2021
3.	Dr. Ravi Chand Sharma, Director, Medical Education & Research, H.P., Shimla.	28-02-2021
4.	Er. Naveen Puri, Engineer-in-Chief, Jal Shakti Vibhag, Shimla.	30-09-2021
5.	Er. N.M. Saini, Chief Engineer (Mandi Zone), Jal Shakti Vibhag, Mandi, H.P.	31-07-2021
6.	Er. Ramesh Kumar Verma, Chief Engineer (D&M), Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh, Shimla.	30-06-2021
7.	Er. O.P. Bhutungru, Chief Engineer (Shimla Zone), Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh, Shimla.	31-01-2021
8.	Er. Bhawan Kumar Sharma, Engineer-in-Chief, HPPWD, Shimla.	31-03-2021
9.	Er. Lalit Bhushan, Chief Engineer (Shimla Zone), HPPWD, Shimla.	31-03-2021

10.	Er. Jagroop Singh Guleria, Chief Engineer (Mandi Zone), HPPWD, Mandi, H.P.	31-01-2021
11.	Er. Pritam Chand, Chief Engineer (Hamirpur Zone), HPPWD, Hamirpur, H.P.	30-04-2021
12.	Er. Sanjeev Kumar Sharma, Chief Engineer (Kangra Zone), HPPWD. Dharamshala.	31-08-2021
13.	Er. Dara Singh Dehal, Chief Engineer, PMGSY, HPPWD, Shimla.	31-10-2021
14.	Dr. Arun Sharma, Director of Forensic Science, H.P., Junga, Distt. Shimla.	31-03-2021

By order,

ANIL KUMAR KHACHI,
Chief Secretary.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, 171002, the 14th October, 2020

No. Agr. B-F (10)-9/2019.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the Director of Agriculture, Himachal Pradesh as Nodal Officer and Agriculture Department of Himachal Pradesh as Nodal Department for implementation of new Central Sector Scheme-Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund for the State of Himachal Pradesh. The detail of Nodal Officer is as under :—

Name	:	Sh. Naresh Kumar Badhan
Designation	:	Director of Agriculture Department, H.P.
e-mail ID	:	krishibhawan-hp@gov.in
Contact No.	:	0177-2831263, +919816622272

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Agr.)

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th October, 2020

No. Agr. B-F(10)-19/2020.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Monitoring Committee (SLMC) for the implementation of the Central Sector Scheme

of "Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund". The composition of State Level Monitoring Committee is as under:—

1.	Chief Secretary to the Government of H.P.	Chairman
2.	Addl. Chief Secretary/Pr. Secretary/Secretary (Agriculture) to the Government of H.P.	Member
3.	Addl. Chief Secretary /Pr. Secretary/Secretary (Cooperation) to the Government of H.P.	Member
4.	Registrar Cooperative Societies	Member
5.	Chief General Manager (CGM), NABARD, Regional Office Shimla	Member
6.	Regional Director, NCDC Shimla	Member
7.	Director Land Records (Officer Nominated by the State)	Member
8.	Director, Industries (Officer Nominated by the State)	Member
9.	Managing Director, H.P. State Agricultural Marketing Board, Shimla (Officer Nominated by the State)	Member
10.	SLBC Convener	Member
11.	Director of Agriculture, H.P.	State Nodal Officer-*cum*-Member-Secretary

The State Level Monitoring Committee will implement the National level Monitoring Committee guidelines at the State level and provide feedback to National Level Monitoring Committee (NLMC). It will also guide and steer the implementation of the schemes in the State and it will also examine and approve the selected list of beneficiaries/projects for inclusion in the scheme in consultation with District Level Monitoring Committee (DLMC). It will set the targets as per Output and Outcome Monitoring Framework (OOMF) format and review the progress regularly.

The Chairman can nominate any other Officer/person as member as per requirement. If the Chairman is busy, meeting will be Chaired by the Additional Chief Secretary (Agr.) to the Govt. of H.P.

By order,

Sd/-
Chief Secretary.

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 28th October,2020

No. Agr.-B-F(10)-19/2020.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a District Level Monitoring Committee (DLMC) for the implementation of the Central Sector Scheme of "Financing Facility under Agriculture Infrastructure Fund". The composition of District Level Monitoring Committee is as under:—

1.	Deputy Commissioner	Chairman
2.	Chief Executive Officer of District Panchayat /CDO	Vice Chairman
3.	District Officer of Agriculture	Member
4.	District Registrar Officers nominated Cooperative Societies.	Member
5.	CGM, NABARD (Officer nominated by the State).	Member
6.	General Manager, District Industries Centre (Officer nominated by the State).	Member
7.	Regional Director, NCDC, Shimla	Member
8.	Experts from KVK, ATMA, local producers' Organizations Officer (Nominated by the State)	Member
9.	Lead District Manager, DLBC	Member
10.	District Manager, NABARD	Member-Secretary

The District Level Monitoring Committee will be the first line of implementation and monitoring system with in overall framework. It will identify the beneficiaries to ensure viability of the project and prepare viable project reports to support the beneficiaries in collaboration with PMU. It will also examine the proposal and recommend to State level Monitoring Committee for consideration. District level Monitoring Committee will set targets in consultation with State Level Monitoring Committee as per Output and Outcome Monitoring Framework (OOMF) format and monitor the progress closely with the support of PMU. District level Monitoring Committee will also maintain the Dashboard in collaboration with PMU. It will be responsible for the smooth implementation of the scheme and resolve any issues at the district level. In the process of sorting out implementation issues the Committee would be supported by the district administration wherever required.

The Chairman can nominate any other Officer/person as member as per requirement. If the Chairman is busy, meeting will be Chaired by the Vice Chairman.

By order,

Sd/-
Addl. Chief Secretary (Agr.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)**

In the matter of :

1. Sh. Samir Bajaj aged about 30 years s/o Sh. Parveen Bajaj, r/o 2534 Hudson Lines, G.T.B. Nagar Kingsway Camp Ist Floor, New Delhi-110009 (India).

2. Ms. Aditi Kataik aged about 30 years d/o Sh. S.S. Kataik, r/o Flat No. 15, Block No. 12A, Housing Board Colony Sanjauli, Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Subject.—Notice to intend marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Samir Bajaj aged about 30 years s/o Sh. Parveen Bajaj, r/o 2534 Hudson Lines, G.T.B. Nagar Kingsway Camp Ist Floor, New Delhi-110009 (India) and Ms. Aditi Kataik aged about 30 years d/o Sh. S.S. Kataik, r/o Flat No. 15, Block No. 12A, Housing Board Colony Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla (H.P.) have filed an application and affidavits in the court of the undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 and intend to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29th November, 2020 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.

Issued today on 29th October, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal. MANJEET SHARMA (H.P.A.S.),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Shimla (Urban).

In the Court of Manjeet Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Parminder Kaur w/o Late Sh. Jagjit Singh, r/o Top Floor, Kuthar House Shankli, Lakkar Bazar, Tehsil and District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Parminder Kaur w/o Late Sh. Jagjit Singh, r/o Top Floor, Kuthar House Shankli, Lakkar Bazar, Tehsil and District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her husband namely JAGJIT SINGH (DOD 30-07-2019) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within (30) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 30th October, 2020.

Seal.

MANJEET SHARMA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Vivek Sharma, H.A.S., Marriage Officer (S.D.M.), Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Shri Himanshu s/o Shri Laxmi Chand and Deepa Kumari d/o Shri Ghanshyam

Versus

General Public

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Shri Himanshu s/o Shri Laxmi Chand, r/o H. No. 173/4, Mohalla Aamarpur Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Deepa Kumari d/o Shri Ghanshyam, r/o Village Bubbi Dhar Kyari, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage, which was solemnized on 18-07-2020 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Himanshu s/o Shri Laxmi Chand, r/o H. No. 173/4, Mohalla Aamarpur Nahan, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Deepa Kumari d/o Shri Ghanshyam, r/o Village Bubbi Dhar Kyari, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 15th day of October, 2020.

Seal.

VIVEK SHARMA (HAS),
Marriage Officer (S.D.M.), Nahan,
District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गाबिन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गाबिन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी दादी जी श्रीमती जिन्दर कौर पत्नी श्री केहर सिंह की मृत्यु तिथि 06–07–2019 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती जिन्दर कौर पत्नी श्री केहर सिंह की मृत्यु तिथि 06–07–2019 को नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री शहजाद पुत्र श्री शमशाद अहमद, निवासी शमशेर जंग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र श्री शहजाद पुत्र श्री शमशाद अहमद, निवासी शमशेर जंग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 21–09–1973 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री शहजाद पुत्र श्री शमशाद अहमद की जन्म तिथि 21–09–1973 को नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : दावा जाति दुरुस्ती।

श्री मौ0 तहसीन पुत्र श्री मोहम्मद हासिम, निवासी नावणी का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

आवेदन–पत्र बाबत जाति दुरुस्ती मौजा महाल नावणी का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0।

प्रार्थी श्री मौ0 तहसीन पुत्र श्री मोहम्मद हासिम, निवासी नावणी का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा नावणी का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसकी जाति मुसलमान अन्य दर्ज चली आ रही है। जबकि उसकी सही जाति मुसलमान नाई है। जिन्हें राजस्व रिकार्ड नावणी का बाग में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थीगण की उक्त जाति दुरुस्त करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी उसके बाद किसी का कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।

श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री सुखदर्शन, निवासी मुहाल देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

आवेदन–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मौजा मुहाल कन्डईवाला डाकरा, तहसील नाहन में नाम दुरुस्ती हेतु।

प्रार्थिया श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री सुखदर्शन, निवासी मुहाल देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह मौजा कन्डईवाला डाकरा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उनका नाम सुनीता देवी दर्ज चला आ रहा है। जबकि उनका सही नाम संगीता देवी है जिन्से राजस्व रिकार्ड कन्डईवाला डाकरा में सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति प्रार्थीगण को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर / एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सलमान खान पुत्र श्री महबूब खान, निवासी खेडा, मुहाल देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र श्री सलमान खान पुत्र श्री महबूब खान, निवासी खेडा, मुहाल देवनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री आईशा खान की जन्म तिथि 05–10–2017 है, जो ग्राम पंचायत देवनी में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो आईशा खान पुत्री श्री सलमान खान की जन्म तिथि 05–10–2017 ग्राम पंचायत देवनी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री गगनदीप पुत्र श्री बलबीर चन्द, निवासी मोहल्ला रामदासिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र श्री गगनदीप पुत्र श्री बलबीर चन्द, निवासी मोहल्ला रामदासिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत

करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 27–08–1982 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री गगनदीप पुत्र श्री बलबीर चन्द की जन्म तिथि 27–08–1982 नगरपालिका परिषद् नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री गरूड सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी महोलिया कटोला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र श्री गरूड सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी महोलिया कटोला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनके ताया जी श्री सावन राम पुत्र नानक चन्द की मृत्यु तिथि 01–01–1992 है, जो ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06–11–2020 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री सावन राम पुत्र नानक चन्द की मृत्यु तिथि 01–01–1992 को जो ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मोहम्मद इमरान पुत्र सलामुदीन, निवासी लोहगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मोहम्मद इमरान पुत्र सलामुदीन, निवासी लोहगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री मिशबा की जन्म तिथि 23–12–2015 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत हरिपुर खोल में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 23–12–2015 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मिशबा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत हरिपुर खोल, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 14–11–2020 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मिशबा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14–10–2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

समक्ष श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 07 / 2020 तारीख संस्थापन : 03–10–2020 तारीख पेशी : 20–11–2020

श्री हरनाम सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह, निवासी पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरनाम सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह, निवासी पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पिता लक्ष्मी सिंह पुत्र अमर सिंह की मृत्यु तिथि 20–09–1991 ग्राम पंचायत पराडा में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र मय हल्फनामा, आधार कार्ड की छायाप्रति, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र, प्रपत्र संख्या 10, परिवार नकल की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पराडा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत पराडा में दर्ज करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–11–2020 या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना

एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर / एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19–10–2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। चेतन चौहान
कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

समक्ष श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 06 / 2020 तारीख संस्थापन : 03–10–2020 तारीख पेशी : 20–11–2020

श्रीमती रेवती देवी पत्नी श्री जिया राम, निवासी मारत, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रेवती देवी पत्नी श्री जिया राम, निवासी मारत, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया के पुत्र शानू का नाम व जन्म तिथि 19–02–2000 ग्राम पंचायत महीपुर में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहती है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन–पत्र मय हल्फनामा, आधार कार्ड की छायाप्रति, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र, प्रप़त्र संख्या 10, परिवार नकल की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम मारत व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत महीपुर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–11–2020 या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19–10–2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। चेतन चौहान
कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

समक्ष श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 08 / 2020 तारीख संस्थापनः 03–10–2020 तारीख पेशी : 20–11–2020

श्री स्वारदीन पुत्र श्री नूर सेन, निवासी शगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री स्वारदीन पुत्र श्री नूर सेन, निवासी शंगन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी के पुत्र रुस्तम का नाम व जन्म तिथि 17–04–2016 ग्राम पंचायत महीपुर में दर्ज नहीं है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र मय हल्फनामा, आधार कार्ड की छायाप्रति, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र, आंगनवाड़ी प्रमाण–पत्र, प्रप़त्र संख्या 10, इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम शंगन व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत महीपुर में दर्ज करवाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–11–2020 या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19–10–2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

चेतन चौहान
कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Registrar-cum**-Sub-Divisional Magistrate Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

1. Sh. Ramesh s/o Late Sh. Mangru Ram, r/o Village Rajana, Tehsil Renuka Ji at Sangarh, District Sirmaur (H.P.).

2. Jaywanti d/o Sh. Kundan Singh, r/o Village Maina, Tehsil Renuka Ji at Sangarh, District Sirmaur (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Notice for Registation of marriage

Sh. Ramesh and Jaywanti have filed an application under special marriage Act, 1954 alongwith affidavits and other documents in the court of the undersigned in which they have stated they that have solemnized their marriage on dated 20-03-2004.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who have any objection regarding their marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before17-11-2020. The objections received after 17-11-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-10-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAHUL JAIN (IAS),
Marriage Registrar-cum-S.D.M.
Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है